<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–105/2023</u>

लाल बहादुर शाह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
24.04.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 07.04.2025 को दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 24.04.2025 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को वादीगण के आवेदन दिनांक 07.04.2025 पर सुना। कार्यालय अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज **<u>आदेश (ORDER)</u>** अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।	
पश्चात् 24.04.2025	वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद, वादी साक्ष्य में लंबित है और वादीगण की ओर से एक साक्षी का साक्ष्य हुआ है। वादीगण द्वारा वाद बिन्दु गठन के पूर्व सुची के साथ मूल कागजात दाखिल किया गया था। मूल कागजात दाखिल करते समय कुछ कागजात और फाईल अन्य कागजात में मिल गये थे जो उस समय प्राप्त नहीं हो सका था और दाखिल नहीं किया जा सका था, जिसे अब वादी द्वारा प्राप्त होने पर उक्त मूल कागजात दाखिल किया गया है। वादीगण द्वारा कागजात दाखिल करने में जानबुझ कर विलम्भ नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद के विचारण एंव न्याय निर्णयन के लिए महत्वपूर्ण कागजात है, इसलिए इसका अभिलेख पर होना तथा प्रर्दश होना	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–105/2023</u>

लाल बहादुर शाह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 24.04.2025	न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण के आवेदन को स्वीकार कर वादीगण द्वारा दाखिल मूल कागजात को ग्रहण कर अभिलेख पर रखने की अनुमति देने की कृपा करे। प्रतिवादीगण की ओर से कोई पत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया, लेकिन वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी साक्ष्यों को प्रदर्श किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 07.04.2025 को स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 08.05.2025 को सुनवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	